

भारतीय निर्वाचन व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता

Dr. Rajesh Kumar Chauhan

Associate Professor, Dept. of Political Science, Govt. College, Bundi, Rajasthan, India

सार

भारत में स्वतंत्रता के बाद से ही लगातार **निष्पक्ष पारदर्शी और सुरक्षित निर्वाचन प्रक्रिया** पर बल दिया गया है। इस संदर्भ में अपनी दक्षता को उन्नत करने के लिये भारतीय निर्वाचन आयोग समय-समय पर विभिन्न सुधारवादी प्रयास करता रहा है। मतदाता पहचान-पत्र की प्रामाणिकता को और भी अधिक पुख्ता बनाने के लिये निर्वाचन आयोग ने अपने सर्वर को प्रत्येक जिले के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संबंधी रजिस्टर के सर्वर के साथ जोड़ने का निर्णय लिया है ताकि किसी मतदाता का मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी होने के साथ ही उसका नाम स्वतः ही मतदाता सूची से हट जाए। इस पहल को 'ई-जिला कार्यक्रम' के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पंजाब राज्य में शुरू किया गया था। निर्वाचन आयोग अब ऐसी व्यवस्था भी शुरू करने जा रहा है जिससे सभी मतदाता केंद्र मतदाता के निवास स्थल से अधिकतम 2 किमी. की परिधि में ही हों। निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता को बनाए रखने और मतदान के समय होने वाली तकनीकी गड़बड़ियों को समाप्त करने के लिये ईवीएम (Electronic Voting Machine) के माध्यम से मतदान का प्रचलन शुरू किया गया है। ईवीएम पारंपरिक मतदान पेंटी प्रणाली की अपेक्षा ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि इसके साथ सहज छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। यदि इसमें कोई तकनीकी खराबी आती है तो खराब होने से पहले तक इसमें रिकॉर्ड किये गए वोट सुरक्षित रहते हैं और उनके लिये दोबारा मतदान की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही, ऐसी स्थिति के निवारण के लिये प्रत्येक मतदान केंद्र में एक अतिरिक्त ईवीएम की व्यवस्था रहती है। इसके अतिरिक्त, निर्वाचन आयोग ने वी.वी.पी.ए.टी. (Voter-Verified Paper Audit Trail) नामक तकनीक भी अपनाई है, जिसकी सहायता से मतदाता को यह जानकारी मिल जाती है कि ईवीएम के माध्यम से दिया गया उसका मत वैध था या नहीं (इस तकनीक में मतदाता जैसे ही ईवीएम पर अपने चुनिंदा चुनाव चिह्न संबंधी बटन को दबाता है वैसे ही ईवीएम पर लगी स्लिप पर उससे संबंधित उम्मीदवार का नाम छप जाता है)। साथ ही, इसे रिकॉर्ड के रूप में मशीन में भी संचित कर लिया जाता है ताकि अंतिम परिणाम के बाद उत्पन्न किसी वाद-विवाद की स्थिति में इसका प्रयोग प्रमाण के तौर पर किया जा सके।

परिचय

ईवीएम में 'नोटा' (None Of The Above-NOTA) विकल्प की व्यवस्था भी की गई है; इस विकल्प को चुनने का तात्पर्य होगा कि मतदाता को चुनाव के उम्मीदवारों में से कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है। इस विकल्प का परोक्ष उद्देश्य यह है कि सभी दल साफ-सुथरी छवि वाले योग्य व कर्मठ उम्मीदवारों को ही चुनाव में उतारें। भारतीय निर्वाचन प्रणाली में 'नोटा' के अस्तित्व से पूर्व भी उम्मीदवारों के प्रति अनिच्छा जाहिर करने की व्यवस्था थी। तब ऐसा करने के लिये 'द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन्स रूल्स, 1961' की धारा 49(०) के तहत मतदाता फार्म 17(1) में अपनी मतदाता संख्या अंकित करके नकारात्मक मत दे सकता था। पीठासीन अधिकारी इस फार्म को चिह्नित कर उस पर मतदाता के हस्ताक्षर ले लेता था। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया क्योंकि यह मतदाता की पहचान को सुरक्षित रखने में असमर्थ था। 2015 के बिहार विधान सभा चुनावों में निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान की निगरानी के लिये ड्रोन का इस्तेमाल, अनिवासी भारतीयों के लिये सेमी इलेक्ट्रॉनिक विधि से मतदान, मोबाइल फोन पर मतदाता केंद्र की अवस्थिति की जानकारी तथा महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये पूरी तरह महिला पदाधिकारियों द्वारा प्रबंधित मतदान केंद्रों की व्यवस्था इत्यादि कुछ अन्य महत्वपूर्ण नवाचार भी अपनाए गए। पारदर्शी और विश्वसनीय निर्वाचन के लिये सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को मद्देनजर रखते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त डॉ. नसीम जैदी ने 'ई-विजन' का विचार प्रस्तुत किया है जिसमें कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में मोबाइल एप्लीकेशन, सोशल मीडिया, ज्ञान प्रबंधन आदि को शामिल किया गया है। इससे चुनाव संबंधी सूचनाओं और सेवाओं के तीव्र प्रसार में भी मदद मिलेगी। मतों की गणना को और भी अधिक तीव्र व सुरक्षित बनाने के लिये आयोग ने टोटलाइजर मशीन का उपयोग करने की मंशा भी व्यक्त की है। भारत जैसे वृहद् लोकतांत्रिक देश में निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सुरक्षित निर्वाचन के संकल्प की पूर्ति में निर्वाचन आयोग लगातार प्रयासरत है। [1] **विभिन्न सुधारों एवं नवाचारों के माध्यम से यह अपनी कुशलता को बढ़ाने का हर संभव तरीका अपना रहा**

है। भारतीय निर्वाचन व्यवस्था विश्व की सफलतम निर्वाचन प्रणालियों में गिनी जाती है। भविष्य में इससे बेहतर स्थिति के निर्माण में ये सुधारात्मक कदम निश्चित ही कारगर सिद्ध होंगे। इसके अलावा, विधानसभाओं, लोक सभा एवं स्थानीय चुनाव एक साथ करवाने, वोटर को दिये गए वोट की स्लिप उपलब्ध करवाने, चुनावों में राज्य द्वारा फंडिंग, सूचना तकनीकी एवं अन्य तकनीकियों के प्रयोग आदि विकल्पों पर चर्चा लगातार जारी है ताकि बदलते समय के अनुरूप निर्वाचन व्यवस्था को प्रासंगिक बनाया जा सके। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक देश में कई आम चुनाव संपादित हो चुके हैं। इन चुनावों के समय उजागर होने वाली विभिन्न कमियों और असंगतियों की समय-समय पर चर्चा भी हुई है। इस चर्चा में संविधान के टीकाकार, राजनीतिज्ञ, राजनीतिक समीक्षक, न्यायाधीश, पत्रकार, राजनीतिक विज्ञान के प्राध्यापक और जनसाधारण तक शामिल हुए हैं। राजनीतिक दलों द्वारा भी समय-समय पर प्रस्ताव पारित कर के चुनाव सुधारों के बारे में लगभग यहीं सहमति सी पाई जाती है कि यदि चुनाव में धन के दुषित प्रभाव, बढ़ती हिंसा, अत्यधिक खर्चीले चुनाव, निर्दलीयों की बढ़ती बाढ़, जाली मतदान की घटनाएं तथा स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान कराने वाली चुनाव मशीनरी की ही निष्पक्षता पर संदेह जैसी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण स्थापित नहीं किया गया तो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के भविष्य के आगे ही प्रश्नवाचक चिह्न लग जाएगा। अतः समय रहते चुनाव सुधार नहीं किए गए तो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद ही खोखली हो जाएगी। फलस्वरूप निर्वाचन सुधार समय की आवश्यकता है। निर्वाचन आयोग एक स्थायी व स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। अंत चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है। क्योंकि यह केन्द्र व राज्य सरकारों दोनों के लिए समान है। 1993 से निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय संस्था बना दिया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियाँ होती हैं। इन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह ही हटाया जा सकता है।[2]

विभिन्न समितियों व आयोगों ने हमारी चुनाव प्रणाली एवं चुनाव मशीनरी के साथ-साथ चुनाव प्रक्रिया की जांच की है। इन्होंने सुधार के सुझाव भी दिए हैं। इन समितियों व आयोगों का उल्लेख निम्न है:-

1. तरकुंडे समिति (1974-75) में
2. दिनेश गोस्वामी समिति (1990) में
3. वोहरा समिति (1993) में (अपराध व राजनीति के बीच सांठगाठ की जाँच करने के लिए)।
4. इन्द्रजीत गुप्ता समिति (1998)-(चुनाव खर्च सरकार द्वारा वहन करने पर)
5. तनखा समिति (2010) में
6. जे. एस. वर्मा समिति (2013) में -(अपराधिक कानून में संसोधन पर)।

विचार-विमर्श

भारत में स्वतंत्रता से लेकर अब तक कई आम चुनाव व उप-चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं। उनके द्वारा भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। संविधान के अधीन और जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा निर्वाचन के संबंध में विस्तृत व स्पष्ट प्रावधान किए हैं। फिर भी व्यवहार में निर्वाचन पद्धति और निर्वाचन व्यवस्था को सर्वथा दोषमुक्त नहीं कहा जा सकता है। हमारी वर्तमान चुनाव व्यवस्था के दोष व असंगतियाँ निम्न हैं:-

1. चुनाव में धन की बढ़ती भूमिका:-

चुनाव में धन की बढ़ती हुई भूमिका हमारी चुनाव व्यवस्था का ही गंभीर दोष नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन आदि अन्य देशों में भी चुनाव प्रणाली दोषपूर्ण है। हमारे देश में कानून इस दोष के प्रति सचेत है। चुनाव में उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले व्यय की सीमा निश्चित की गई है। यह सीमा अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग है। चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक ठहराया गया है कि वह चुनाव परिणाम की घोषणा के 30 दिन के भीतर चुनाव व्यय का हिसाब संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत कर दे। व्यवहार में धन की भूमिका अत्यधिक बढ़ती जा रही है।

चुनाव में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। भारत में यह बात भी सही है कि वोट खरीदे जाते हैं।[3,4]

2. चुनाव में सत् रूढ़ दल द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग:-

भारतीय चुनाव में शासक दल द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग एक आम बात हो गई है। दलीय लाभों के लिए प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग के विरुद्ध विपक्षी दल आवाज उठाते रहे हैं। लेकिन जब कभी विपक्षी दल सत् रूढ़ हुआ है तो वह भी इस दोष से मुक्त नहीं हो पते हैं। इनका मूल उद्देश्य होता है:- चुनावों में वोट प्राप्त करना। प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री स्तर तक के द्वारा सरकारी साधनों का दुरुपयोग किया जाता है।

3. मतदाता सूचियों की अपूर्णता:-

हमारी चुनाव प्रणाली में यह भी एक दोष है कि चुनावों के समय विशेषकर मध्यावधि चुनावों के समय मतदाता सूचियाँ प्रायः अपूर्ण रहती है। इनमें गलतियाँ भी पाई जाती है। परिणामस्वरूप अनेक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित रह जाते हैं। चुनाव क्षेत्रों में भी कई बार ऐसा परिवर्तन कर दिया जाता है जो शासक दल के अनुकूल होता है।

4. निर्वाचन अधिकारियों पर अनुचित दबाव:-

निर्वाचन अधिकारियों पर अनुचित रूप से राजनीतिक व अन्य प्रकार के दबाव डाले जाते हैं। फलस्वरूप वे निष्पक्ष रूप से अपना कार्य संपन्न नहीं कर पाते हैं। उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

5. निर्दलीय उम्मीदवारों की बहुलता:-

भारतीय चुनाव व्यवस्था की एक गंभीर समस्या निर्दलीय उम्मीदवारों की है। निर्दलीय उम्मीदवारों की बहुसंख्या के कारण मतपत्र बहुत लंबे बनाने पड़ते हैं। मतदान पेटियाँ बड़ी या अधिक संख्या में तैयार करनी पड़ती है। जिससे व्यर्थ ही चुनाव व्यय बढ़ जाता है।

6. दलों को प्राप्त समर्थन व प्राप्त स्थानों के अनुपात में गंभीर अंतर:-

हमारी वर्तमान चुनाव व्यवस्था में वहीं प्रत्याशी विजयी माना जाता है। जिसे सर्वाधिक मत मिले हो। इस प्रणाली में जब प्रत्याशी दो से अधिक होते हैं तो इस बात की पूरी संभावना रहती है कि विजयी प्रत्याशी को प्राप्त मत अन्य सब पराजित प्रत्याशियों को प्राप्त मत से कम हो। आज तक केन्द्र में सत् रूढ़ होने वाले किसी भी दल की सरकार को मतदाताओं के 50 प्रतिशत मतों का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ है।

7. कुछ अन्य कमियाँ:-

भारतीय निर्वाचनों और निर्वाचन व्यवस्था की कुछ अन्य कमियाँ प्रायः ये बताई जाती है - कि जाली व फर्जी मतदान की बढ़ती प्रवृत्ति, चुनाव नियमों का उल्लंघन, चुनावों में विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार, चुनाव आयोग के पास अपने स्वतंत्र कर्मचारियों का न होना, कई बार डाक द्वारा आने वाले मतों की समुचित व्यवस्था न होना, मतदान केंद्रों पर कब्जा कर लेना आदि।[5,6]

परिणाम

भारतीय चुनाव प्रणाली क्रमिक रूप से सुधारों की ओर अग्रसर है। इसमें वर्तमान में भी सुधारों की व्यापक आवश्यकता है। भारत में वर्ष 2010 के बाद हुए भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार को निम्न रूप में जाना जा सकता है। इसका वर्णन निम्न है:-

1. एक्जिट पोल पर प्रतिबंध:-

लोकसभा व राज्य विधानसभा के चुनाव के दौरान एक्जिट पोल करने तथा उसके परिणामों को प्रकाशित करने पर रोक लगा दी गई है। इस तरह चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित अवधि के दौरान कोई व्यक्ति एक्जिट पोल नहीं कर सकता तथा उसके परिणामों को प्रकाशित या प्रचारित नहीं कर सकता। इसका उल्लंघन करने वाला व्यक्ति दो साल की कैद व जुर्माना या दोनों का भागी होगा।

2. भ्रष्ट तरीके के घेरे में सभी अधिकारी:-

सभी अधिकारी, चाहे वे सरकारी सेवा में हों या चुनाव आयोग द्वारा चुनाव संचालित कराने के लिए किसी तरह की मदद लेने पर भ्रष्ट तरीके अपनाने के कारण घेरे में लेने का प्रावधान किया गया है।

3. जमानत की राशि में बढ़ोतरी :-

लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए जमा की जाने वाली जमानत की राशि सामान्य कोटि के उम्मीदवारों के लिए 10 हजार से बढ़ाकर 25 हजार और अनुसूचित जाति व जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 5 हजार से बढ़ाकर 12 हजार कर दी गई है। वहीं विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए 5 हजार से बढ़ाकर 10 हजार व अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 5 हजार कर दी गई है। ऐसा अगंभीर उम्मीदवारों की संख्या बढ़ने से रोकने के लिए किया गया है।

4. विदेशों में रहने वाले भारतीयों को वोट का अधिकार :-

2010 में विभिन्न कारणों से विदेशों में रहने वाले भारतीयों को वोट का अधिकार दिया गया है। वे अपना नाम अपने संबंधित क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं।[4,5]

5. नोटा विकल्प शुरू करना :-

उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार चुनाव आयोग ने उपर्युक्त में से कोई नहीं के लिए मतदाता पत्रों / ईवीएम मशीनों में प्रावधान किया है। ताकि मतदान केंद्र तक आने वाले मतदाता चुनाव में खड़े हुए किसी भी उम्मीदवारों में से किसी को भी न चुनने का फैसला कर अपने मतदान की गोपनीयता को बनाए रखते हुए ऐसे उम्मीदवारों को मत नहीं डालने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें। NOTA (None of the above) 'उपरोक्त में से कोई नहीं' ।

6. मतदाता निरीक्षण पेपर ऑडिट ट्रायल की शुरुआत :-

बीबीपीएटी ईवीएम से जुड़ी एक स्वतंत्र प्रणाली है। जो मतदाताओं को अनुमति देती है कि वे यह सत्यापित कर सकते हैं कि उनका मत उक्त उम्मीदवार को पड़ा है जिसके पक्ष में उन्होंने मत डाला है। जब मत पड़ता है तो एक स्लिप मुद्रित होती है और सात सेकंड तक नाम तथा चुनाव चिन्ह उजागर होता है। यह प्रणाली मतदाता को पेपर स्लिप के आधार पर अपने मत को चुनौती देने की सुविधा प्रदान करती है।

7. ईवीएम एवं मतपत्रों पर उम्मीदवारों के फोटो :-

चुनाव आयोग के आदेशानुसार 1 मई 2015 के बाद होने वाले किसी भी चुनाव में ईवीएम एवं मतपत्रों पर उम्मीदवारों की फोटो, नाम तथा पार्टी चुनाव चिन्ह के साथ प्राकशित रहेगा। ताकि इस बारे में मतदाताओं के भ्रम का निवारण हो सकें।

निष्कर्ष

चुनाव सुधार लोकतंत्र की प्रक्रिया का मुख्य फोकस लोकतंत्र के मूल अर्थ को व्यापक बनाना तथा इसे नागरिकों के अधिक अनुकूल बनाना ही है। यह भी सही है कि चुनाव भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सोर्स बन चुका है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी करोड़ों की नकदी जब्त की जाती है।[3,4] सामान्यतः जितनी धनराशि चुनाव लड़ने के लिए तय की जाती है। उससे भी अधिक धन का प्रयोग किया जाता है। उम्मीदवार महंगाई को देखते हुए खर्च करते हैं। तमाम तरह से अवैध धन का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीदवार महंगाई को देखते हुए खर्च की सीमा बढ़ाने की मांग करते हैं। अगर काले धन के इस्तेमाल को रोकना है तो निर्वाचन आयोग को तर्कसंगत तरीके से सोचना ही होगा। चुनाव सुधारों के लिए चुनाव आयोग को पहल करनी ही होगी। चुनाव सुधार एक जरूरत ही नहीं बल्कि वर्तमान आवश्यकता है।[6]

संदर्भ

1. राय, एम. , “ भारतीय सरकार एवं राजनीति ” कॉलेज बुक डिपो, जयपुर।
2. शर्मा, हरिश्चन्द्र, “ भारत में राज्यों की राजनीति ” कॉलेज बुक डिपो, जयपुर।
3. नरूला, बी. सी. , “ भारतीय राजनीति ” अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 2016 ।
4. नारायण, इकबाल, “ भारतीय सरकार एवं राजनीति ” राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।
5. जैन, पुखराज, “ भारतीय सरकार एवं राजनीति ” साहित्य भवन पब्लिकेशनस, आगरा, 2001 ।
6. लक्ष्मीकांत, एव. “ भारत की राजव्यवस्था ” मैकग्राहिल एजुकेशन प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली, 2016 ।